100

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : दो–निगरानी/सतना/भू.रा./2018/920 – विरूद्ध आदेश दिनांक 471–2018 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 10/2017–18 अपील

धनन्जय सिंह पुत्र व्यंकट सिंह ग्राम उमरी वृजनन्दन तहसील नागौद, जिला सतना मध्य प्रदेश । ---आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती गीतासिंह पुत्र स्व.राज ललन सिंह

2– श्रीमती मनोज्ञासिंह पत्नि स्व.आशुतोष सिंह

3– शाम्भवी सिंह पुत्र स्व.आशुतोष सिंह

4– सुश्री जान्हवीं पुत्री स्व.आशुतोष सिंह

5– कोश्तुभराज सिंह पुत्र स्व.आशुतोष सिंह नावालिक सरपरस्त माता मनोज्ञा सिंह सभी निवासीगण ग्राम उमरी वृजनन्दन तहसील नागौद, जिला सतना

6– सुखेन्द्र सिंह 7– वीरेन्द्र सिंह 8– प्रताप सिंह

9– सीता सिंह सभी पुत्रगण स्व.धर्मराज सिंह

10–श्रीमती लाल सिंह पत्नि स्व.व्यंकट सिंह

11–अजीत सिंह 12– राजनन्दनी सिंह पुत्रगण राजेश सिंह

13– रूपाली सिंह 14–सुमन्त सिंह

15– मंजुला सिंह पुत्रगण व्यंकट सिंह

16– सुश्री रेखा सिंह 17– सुश्री शीला सिंह पुत्रियां स्व. व्यंकट सिंह

18– सुश्री शांति सिंह पुत्री स्व. बृजनन्दन सिंह

19– विभोर सिंह पुत्र स्व.राजेन्द्र सिंह सभी निवासीगण ग्राम वृजनन्दन तहसील नागौद, जिला सतना

20- श्रीमती बन्दना सिंह पत्नि गोविन्द सिंह पुत्री राजेन्द्रसिंह
निवासी कोठी जिला सतना मध्य प्रदेश

21- सुश्री पिंकी उर्फ प्राची पुत्री स्व. राजेन्द्र सिंह
निवासी आई0पी0सिंह प्लाट नंबर 114 इन्दौर म0प्र0

22- श्रीमती रिंकी उर्फ अनामिका सिंह पत्नि गजेन्द्र सिंह
पुत्री स्व.गजेन्द्र सिंह म.नं. 112 बंगाली चौराहे के पास इंदौर

23- गुडिया उर्फ प्रतीक्षा पत्नि राजभान सिंह पुत्री राजेन्द्र सिंह
निवासी शुकुला बरदाड़ी बार्ड नंबर 10 सतना म0प्र0

24- म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर सतना ----असल अनावेदकगण

25- देवराज सिंह पुत्र धर्मराज सिंह

26- श्रीमती साधना सिंह पत्नि स्व. राजेश सिंह

27- अवधे सिंह 28- रमेश सिंह पुत्रगण वीरभान सिंह

29- राजबहादुर सिंह पुत्र स्व. वृजनन्दन सिंह

30- श्रीमती भारती सिंह पत्नि स्व. राजेन्द्र सिंह

सभी निवासीगण ग्राम उमरी वृजनन्दन
तहसील नागौद जिला सतना ---तरतीवीं अनावदेकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री अशोक भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 29-05-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 10/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-12-2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त जसो द्वारा मौजा उमरी की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 7 पर पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 18-3-1975 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, नागौद जिला सतना के समक्ष

अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी नागौद ने प्रकरण कमांक 80/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-9-2017 से राजस्व निरीक्षक वृत्त जसो का आदेश दिनांक 18-3-1975 निरस्त कर दिया तथा वाद विचारित भूमियों पर व्यवस्था पत्र ग्रहीता स्वर्गीय राजललन सिंह के विधिक वारिसान का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रचलित रहने के दौरान अपर आयुक्त के समक्ष इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि विचाराधीन भूमियों के सम्बन्ध में स्वत्व के निराकरण का मामला मान. व्यवहार न्यायालय में प्रचलित है इसलिये अपील प्रकरण की कार्यवाही व्यवहार वाद के निराकरण तक रोक दी जावे। इस आपत्ति पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने पक्षकारों को सुनकर अंतरित आदेश दिनांक 4-1-2018 पारित किया तथा निर्णीत किया कि व्यवहार न्यायालय से स्थगन नहीं है फलस्वरूप राजस्व न्यायालय में नामान्तरण कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती एंव उनके द्वारा प्रकरण उत्तरवादीगण की तलवी हेतु समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराने हेतु नियत कर दिया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग के इसी अंतरिम आदेश दिनांक 4-1-18 के विरूद्ध यह निगरानी हैं।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर देखना है कि क्या वाद विचारित भूमियों के सम्बन्ध में व्यवहार वाद लम्बित रहने पर राजस्व न्यायालय को नामान्तरण पर प्रचलित प्रकरण में सुनवाई करना चाहिये अथवा नहीं ? मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109 सहपठित 110 में व्यवस्था दी गई है कि नामान्तरण होने से किसी व्यक्ति के स्वत्व के प्रश्न का विनिश्चय नहीं होता है अपितु नामान्तरण कार्यवाही राजस्व रिकार्ड अद्यतन रखने की प्रकिया है जो भू राजस्व एंव अन्य उप कर प्राप्त करने के लिये प्रयोज्य है।

1. भॅवरलाल विरूद्ध कस्तूरी वाई 2008 (1) एम0पी0एल0जे0 216 का न्याय दृष्टांत है कि नामान्तरण से किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति में कोई हक प्राप्त नहीं होता है। राज्य या निकाय के वित्तीय प्रयोजनों के लिये नामान्तरण किया जाता है।

2. केशव प्रसाद शुक्ला विरूद्ध कु. रंजनावाई 1991 राजस्व निर्णय 202 में बताया गया है कि नामानतरण किये जाने का ध्येय केवल राजस्व अभिलेख को अद्धतन रखना व प्रतिदिन के मान से व्यवस्थित रखना है।

स्पष्ट है कि नामान्तरण का मूल उद्धेश्य अधिकार अभिलेख को अद्यतन रूप से शुद्ध रखना है । यदि वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व का विवाद माननीय व्यवहार न्यायालय में लम्बित है माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है एंव व्यवहार न्यायालय से जो भी आदेश होंगे, तदाशय का शुद्धीकरण व अमल राजस्व अभिलेख में करने हेतु राजस्व न्यायालय बाध्य है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 10/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-12-2006 से राजस्व न्यायालय में प्रचलित नामांत्रण पर अपील कार्यवाही न रोकने का निर्णय लेने में त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-12-2006 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर